भारत सरकार
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 795
उत्तर देने की तारीख 18 सितंबर, 2020
शुक्रवार, 27 भाद्रपद, 1942 (शक)

कोविड-19 के पश्चात कौशल विकास संबंधी कार्यक्रमों में परिवर्तन

795 श्री मल्लिकार्जुन खरगे:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा कोविड-19 लॉकडाउन के बीच लोगों को उचित प्रशिक्षण प्रदान किया जाना सुनिश्चित करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार के पास अभी तक प्रशिक्षित किए गए लोगों के संबंध में कोई आंकड़ा है जिन्हें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के अंतर्गत वर्तमान में नियोजित किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(घ) पीएमकेवीवाई के अंतर्गत प्रशिक्षित लोगों की नियोजनीयता को सुनिश्चित करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ड.) कोविड काल के पश्चात सरकार किस प्रकार कौशल विकास कार्यक्रमों में परिवर्तन करने का विचार रखती है?

उत्तर
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री राज कुमार सिंह)

(क) और (ड.) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के माध्यम से कोविड-19 लॉकडाउन के बीच में 'ई-स्किल इंडिया' मंच के माध्यम से ऑन-लाइन कौशलीकरण प्रदान कर रहा है। इसके अलावा, गृह मंत्रालय ने 21 सितंबर से कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन की अनुमति दी है। तदनुसार, प्रशिक्षण पुन: प्रारंभ करने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मानक संचालन क्रियाविधि (एसओपी) जारी की गई है।

(ख) और (ग) पीएमकेवीवाई के तहत, अल्पावधि प्रशिक्षण (एसटीटी) पाठ्यक्रमों में 17.03.2020 तक क्रमश: 42.02 लाख और 33.66 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित और प्रमाणित किया गया है। इन प्रमाणित उम्मीदवारों में से 17.54 लाख उम्मीदवारों को प्लेसमेंट प्रदान किया गया है। साथ ही, 49.12 लाख उम्मीदवार जो पहले से ही कौशल प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन उन्हें प्रमाणित नहीं किया गया है, उन्हें स्कीम के पूर्व शिक्षण मान्यता (आरपीएल) घटक के तहत उन्मुख किया गया है।

(घ) प्रमाणित उम्मीदवारों के प्लेसमेंट को बढ़ाने के लिए विभिन्न पहलें की गई हैं। प्रमुख पहलें इस प्रकार हैं:

- प्रशिक्षण प्रदाताओं/प्रशिक्षण केंद्रों (टीपी/टीसी) को क्षेत्र कौशल परिषदों के सहयोग से रोज़गार मेले का आयोजन करना होता है;
- टीपी/टीसी के लिए भुगतान की अंतिम किस्त (यानी कुल प्रशिक्षण निधि का 20%) प्रमाणित उम्मीदवारों की नियुक्ति पर आधारित है;
- उम्मीदवारों को न्यूनतम आवश्यक स्तर से ऊपर रखने के लिए टीपी/टीसी को अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाता है;
- टीपी/टीसी को लक्ष्य का आवंटन प्लेसमेंट निष्पादन पर आधारित है।

******